:: आदेश ::

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27, 47 (क), 75 एवं 340 (क) के अधीन कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 की विज्ञप्ति संख्या: एस0आर0 2114/ग्यारह-97-1306/95 दिनांक 08 जुलाई 1997 के अधीन विज्ञापित सम्पत्ति नियमावली के नियम 04 के अधीन भूमि के दरों का द्विवार्षिक निर्धारण दिनांक 01.04.2012 को किया गया था, जिसका पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक है। अत: अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या: 289/2014/xxvii(09)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 एवं महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या: 566/म0नि0नि0/2014-15 दिनांक 30 अक्टूबर 2014 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मै सी0 रविशंकर, कलेक्टर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले के नगरीय, अर्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सिंचित/असिंचित/अकृषिक भूमि के मूल्यांकन की दरें बहुमंजलीय आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों, गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की दरों एवं फलत:/अफलत: इमारतीय वृक्षों के क्रय-विक्रय की दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.11.2014 से अग्रेतर दो वर्षो के लिये दिनांक 01.11.2016 तक लागू होंगी ।

नोट:-

1. जनपद की सिविल सोयम की बंजर भूमि/वन भूमि की दरें रूपये- 1200.00 प्रति नाली निर्धारित की जाती है ये दरें केवल एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण के मामलों में लागू होगी ।

2. मोटर मार्ग से तात्पर्य उन सडकों से है जहाँ पर बस सेवा नियमित रूप से चालू है तथा पूर्ण रूप से निर्मित हो चुकी है । प्रस्तावित/निर्माणाधीन सडकों में आने वाली भूमि की दरें ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित भूमि की दरों के समान मानी जायेगी ।

3. शासनादेश संख्या: 230/सत्ताईस(9)/2007 दिनांक 18 सितम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार में समस्त तहसीलों के मुख्य मार्गो पर पडने वाले खसरा नम्बरों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । यदि भविष्य में खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

02 0

4. जनपद में औद्योगिक आस्थानों एवं गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत पृथक विभागीय दरें निर्धारित नहीं है । आवास विकास विभाग एवं उद्योग विभाग से पृथक से दरें प्राप्त होने पर सम्मिलित की जायेंगी ।

" उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगित विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगित विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थानों/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा ।"

संलग्नक:- यथोक्त सूची

(सी0 रविशंकर)
कलेक्टर,
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-09 देहरादून ।
2. आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. महानिरीक्षक निबन्धक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी ।
6. भू-अध्याप्ति अधिकारी, उत्तरकाशी ।
7. उप निबन्धक, उत्तरकाशी/बडकोट/पुरोला ।

कलेक्टर,
उत्तरकाशी ।